क्रम सं०	कार्य का नाम	मार्च, 1994 तक खर्च (लाख रु०)
1.	रा० रा० 3 पर 573.0 से 590/6 कि०मी० (इन्दौर-देवास खंड) में मौजूदा दो लेन वाली सड़क को चार लेन का बनाना और मजबूत करना।	1.78
2.	रा० रा० 26 पर 267 कि०मी० से 276 कि०मी० तक को चौड़ा करके दो लेन का बनाना।	1.70

चूंकि राष्ट्रीय राजमार्गों का उत्तरदायित्व केन्द्र सरकार का है इसलिए वित्तीय सहायता का कोई प्रश्न नहीं है पिछले तीन वर्षों में आर्थिक महत्व की योजनाओं के अंतर्गत मध्य प्रदेश में अंतर राज्यीय सड़कों के लिए किसी निर्माण कार्य को संस्वीकृति नहीं दी गई है।

(ग) जी नहीं, ये कार्य अभी निर्माण-पूर्व अवस्था में हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Scheme for Road Development in Priority List

3025. SHRI CHIMANBHAI HARIBHAI SHUKLA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether during the Eighth Five Year Plan about 20 new Research and Development schemes have been modified in priority list;

(b) if so, how many of them have so far been started;

(c) how many of them have been started in 1992 and 1993 and till 30th June in 1994;

(d) what was the amount so far utilised State-wise;

(e) whether any new highways are being planned in Gujarat; and

(f) if so, by what time work on these projects is likely to be started; and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a). Yes, Sir. List has been modified.

(b) Thirteen.

(c) Nil in 1992 Eight in 1993. Five in 1994.

(d) Funds under Research and Development Schemes are not released State-wise, but scheme-wise. During last three years amount released for these schemes is as under:—

Year	Amount released (Rs. in lakh)
1992-93.....	146.13
1993-94.....	129.57
1994-95.....	9.05 (upto July 1994)

(e) No new National Highway is being planned in Gujarat.

(f) Does not arise.

राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव

3026. **श्री गोविन्दराव आदिकः**
श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्देः

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और मरम्मत की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंप दी है;

(ख) सरकार ने इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को धनराशि प्रदान करने के लिए क्या मानदंड अपनाया है;